



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1380]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2014/आषाढ़ 9, 1936

No. 1380]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2014/ASADHA 9, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2014

का.आ. 1650(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), मध्यप्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | श्री वसीम अख्तर<br>10, नादिर कालोनी, श्यामला हिल्स,<br>भोपाल-462013            | अध्यक्ष     |
| 2. | श्री हरिशंकर वर्मा<br>म. नं. 4, द्वारकापुरी कोटरा<br>सुल्तानाबाद, भोपाल-462003 | सदस्य       |
| 3. | कार्यकारी निदेशक, पर्यावरणीय<br>योजना और समन्वय संगठन (ई पी सी ओ),<br>भोपाल    | सदस्य- सचिव |

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, मध्यप्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हो।

4. प्राधिकरण, मध्यप्रदेश, अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले, पैरा-5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों पर विचार करेगा।

5. केंद्रीय सरकार, उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्यप्रदेश (जिसमें इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

1.	श्री रविंद्र बिहारीलाल, ई-1/176 अरेरा कालोनी भोपाल, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2.	डा. श्रीनिवासन कृष्णन अय्यर फ्लैट 1ए-101, ब्लाक 1, हंसा चित्रा अपार्ट., चित्रा टाउनशिप, जामिन पल्लावरम, चेन्नई-600043	सदस्य
3.	श्री ए. पी. श्रीवास्तव ई-8/52, रेलवे हाउसिंग सोसाइटी, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016	सदस्य
4.	श्री कल्याण प्रसाद नयाती डी-1-सी/56ए, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	सदस्य
5.	डा. महेश प्रसाद सिंह विभागाध्यक्ष, वन विज्ञान विभाग वानिकी संकाय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची-834006, झारखंड	सदस्य
6.	डा. मोहिनी सक्सेना भारतीय योग अनुसंधान केंद्र, रेडियो ट्रांसमिशन केंद्र के समीप, आनंद नगर, रायसेन रोड़, भोपाल-21	सदस्य
7.	डा. मनोज प्रधान खनन इंजिनियरी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर (राष्ट्रीय महत्व का संस्थान) जी.ई. रोड़, छत्तीसगढ़	सदस्य
8.	श्री मनोहर के जोशी 155, विश्वकर्मा नगर, अन्न पूर्णा रोड़, इंदौर-452009 (एम.पी.)	सदस्य
9.	श्री रामेश्वर माहेश्वरी 182 एम, खाटीवाला टैंक, इंदौर	सदस्य
10.	डा. उदयरज सिंह 94, छत्रपति कालोनी, चूनामट्टी वाल्मी रोड़, भोपाल-462016	सदस्य
11.	डा. आलोक मित्तल, आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल-462051	सदस्य
12.	सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सचिव

6. एस ई ए सी, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एस ई ए सी, मध्यप्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हो।

8. एस ई ए सी, मध्यप्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्यता पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।

9. मध्यप्रदेश राज्य सरकार, प्राधिकरण, मध्यप्रदेश और एस ई ए सी, मध्यप्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित उसे सभी वित्तीय और संचार तंत्र समर्थन प्रदान करेगी।

10. प्राधिकरण, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस ई ए सी, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का मध्यप्रदेश राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा।

[सं. जे-11013/63/2007-आई.ए.II(I)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS  
ORDER**

New Delhi, the 30th June, 2014

**S.O. 1650(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification) the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: -

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Shri Waseem Akhtar<br>10, Nadir Colony, Shamla Hills, Bhopal -462013                       | Chairman         |
| 2. | Shri Harishankar Verma<br>H.No. 4, Dwarkapuri Kotra Sultanabad, Bhopal-462003.             | Member           |
| 3. | Executive Director, Environmental Planning and<br>Coordination Organization (EPCO), Bhopal | Member-Secretary |

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

4. The Authority, Madhya Pradesh shall, before arriving at its decision, consider the recommendations made by the State level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5.

5. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, hereby constitutes the State level Expert Appraisal Committee, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members, namely :-

1.	Shri Ravindra Biharilal E-1/176, Arera Colony Bhopal, Madhya Pradesh.	Chairman
2.	Dr. Srinivasan Krishnan Iyer Flat 1A -101, Block 1, Hansa Citra Apts. , Chitra Township, Zamin Pallavaram, Chennai-600043	Member
3.	Shri A. P. Shrivastava, E-8/52, Railway Housing Society Arera Colony Bhopal-462016	Member

4.	Shri Kalyan Prasad Nyati, D-1-C/56-A, Janakpuri, New Delhi-110058	Member
5	Dr. Mahesh Prasad Singh Head of the Department of Forest Science Faculty of Forestry Birsa Agricultural University Kanke Ranchi-834006, Jharkhand	Member
6	Dr. Mohini Saxena Bhartiya Yoga Anusandhan Kendra Near Radio Transmission Centre Anand Nagar Raisen Road Bhopal-21	Member
7	Dr. Manoj Pradhan, Department of Mining Engineering National Institute of Technology Raipur (Institute of National Importance) G.E. Road, Chhattisgarh	Member
8	Shri Manohar K Joshi, 155, Vishwakarma Nagar, Annapurna Road, Indore-452009 (MP)	Member
9	Shri Rameshwar Maheshwari 182 M, Khatiwala Tank, Indore	Member
10	Dr. Udaya Raj Singh 94 Chhatrapati Colony, Chunabhatti, Walmi Road, Bhopal-462016	Member
11	Dr. Alok Mittal, Professor Department of Chemistry, Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal-462051	Member
12	Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board	Secretary

6. The Chairman and Members of SEAC, Madhya Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

8. The SEAC, Madhya Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The State Government of Madhya Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Madhya Pradesh and the SEAC, Madhya Pradesh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Madhya Pradesh and the Chairman and Members of SEAC, Madhya Pradesh shall be paid in accordance with the concerned rules of the State Government of Madhya Pradesh.

[No. J-11013/63/2007-IA.II(1)]  
AJAY TYAGI, Jt. Secy.